

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्था./बी-1/विविध-73/1188

emw  
भोपाल दिनांक 07/08/2024

//आदेश//

म0प्र कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30(3) के अन्तर्गत श्री बसंत कुशवाह, सहायक ग्रेड-3, मूल कृषि उपज मण्डी समिति कोलारस जिला-शिवपुरी को प्रशासनिक आधार पर समान पद व वेतनमान में कृषि उपज मण्डी समिति मगरोनी जिला शिवपुरी में रिक्त सहायक उपनिरीक्षक पद के विरुद्ध आदेश जारी दिनांक से अन्य आगामी आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है।

उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी पर मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30 की उपधारा (4) (क) के अनुसार मूल मण्डी में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी के मासिक वेतन एवं भत्ते कृषि उपज मण्डी समिति मगरोनी जिला शिवपुरी से ही देय होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर कभी भी सक्षम स्वीकृति की अनुमति लेकर वापिस की जा सकती है।

  
(श्रीमन् शुक्ला)


प्रबंध संचालक सह आयुक्त,  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

भोपाल दिनांक 07/08/2024

क्रमांक/स्था./बी-1/विविध-73/1189

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मण्डी बोर्ड, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति कोलारस जिला शिवपुरी/मगरोनी जिला शिवपुरी। संबंधित कर्मचारी की भारमुक्ति/उपस्थिति से तत्काल अवगत करावें।
5. श्री बसंत कुशवाह, सहायक ग्रेड-3, कृषि उपज मण्डी समिति कोलारस जिला शिवपुरी की ओर पालनार्थ।
6. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/स्थापना (अ-2)/कम्प्यूटर शाखा, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

  
प्रबंध संचालक सह आयुक्त,  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल